न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 20/2019-20

मरियम हंस पति श्री जोसेफ हंस — अपीलकर्त्ता
ग्राम–मारांगहादा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। — विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
21.09.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–35R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.18 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
तिरला	खूँटी 78	04	291	0.20

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि मौजा–तिरला, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.20 एकड़ है को बिरसा मुण्डा वो सनिका मुण्डा पिता स्व0 पुन्डी मुण्डा ग्राम–तिरला, थाना–खूँटी से विक्रय पट्टा सं0 809/795 दिनांक 30.07.12 से क्रय कर दखलकार चली आ रही है।

आवेदक द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, खूँटी में आवेदन दाखिल किया जिसका वाद सं0 35R27/18-19 पड़ा।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि अनुसूचित जनजाति की है एवं सक्षम अधिकारी से निर्गत अनुमति आदेश की प्रति संलग्न नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजातियों के सदस्य और छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय से अनुमति वाद सं0–301/11–12 द्वारा क्रय–विक्रय की स्वीकृति आदेश प्राप्त कर उक्त भूमि को खरीदी है। अधिवक्ता पुनः कथन करते है कि क्रय–विक्रय संबंधी अनुमति आदेश की प्रति **Deed** में संलग्न की गयी थी। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा बिना देखे ही नामांतरण अस्वीकृत कर दी गयी। अंत में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया की आवेदक द्वारा उक्त भूमि का क्रय छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति वाद सं0– 301/11–12 में दिनांक 15.05.12 को इस न्यायालय से आदेश प्राप्त कर क्रय किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः अनुमति संबंधी आदेश की प्रति प्राप्त करते हुए दाखिल खारिज करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय साथ ही आवेदक को आदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी के समक्ष अनुमति आदेश की प्रति प्रस्तुत करे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।